

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम अनिल कुमार जैन
 3. वर्तमान धारित पद जुनियर काउन्सिलर
 5. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2022
 2. उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नगर पालिक निगम, उज्जैन
 4. वर्तमान वेतन (15,600 - 3,910.00 - 6,600)
 मासिक गृह वेतन (25,880 + 6600) = 33,460.00

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा थोरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम तथा थोरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
उज्जैन	गृह (G+1) 33, श्री विराला क्षेत्र, उज्जैन	श्रृंखल (40'x60) D-431 विक्रान्त नगर उज्जैन	135.00 लाख	श्रीमति श्रुति जैन (पतिन) एवं अनिल कुमार जैन के संयुक्त नाम से है।	बैंक ऋण (Joint Loan) 6PF तथा स्वयंभू के द्वारा अर्जित राशी से दिनांक 21.10.2002 को उज्जैन विकास प्राधिकरण से श्रृंखल रु. 7.50 लाख में कीज रेट पर कूमा किया। शाम सहकारी गृह निर्माण संस्था बर्मा से वर्ष 1997 में रु. 21,600/- में कूमा किया।	मिरेक	

हस्ताक्षर AN दिनांक 12/2

पदनाम कार्यपालन मंत्री
 नाम अनिल कुमार जैन

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अत्यक्तानीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पड़ती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र नए कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभिल की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के थोरे दें।